माध्यमिक शिक्षा मण्डल, मध्यप्रदेश, भोपाल

ई–मेल : mpbse @ mp.nic.in वेब साइट : www.mpbse.nic.in

☎ : कार्या:– (0755) 2551650, 2761567 फैक्स – (0755) 2551499, 2552061

क्रमांक / 3283 / डी.एड.सेल / 2016 भोपाल, दिनांक 30 / 05 / 2016

संस्था कोड–

प्रति,

प्राचार्य / अध्यक्ष / सचिव
जवाहर लाल नेहरु कॉलेज ऑफ एज्यूकेशन,
प्लॉट नं.–973 / 1, ग्राम / टाउन / मुगालिया हाट,
पोस्ट ऑफिस फंदा, तह. / तालुका हुजूर
जिला–भोपाल (म.प्र.)

विषयः– डी.एड. पाठ्यक्रम संचालित करने हेतु सत्र 2016–17 से मण्डल की नवीन संबंद्धता बावत्

––– / / –––

एन.सी.टी.ई. द्वारा जारी मान्यता आदेश क्रमांक–**WRC/NCTE/APW08244/222543/245Th/ D.El.Ed./(M.P.)/2016/162515** **दिनांक 03.03.2016** एवं शासन के पत्र क्र.–808 / 858 / 2016 / 20–2 दिनांक 19.05.2016 के अनुक्रम में आपकी संस्था द्वारा मण्डल में प्रस्तुत नवीन संबंद्धता संबंधी आवेदन पत्र एवं शपथ पत्र में प्रस्तुत जानकारी के आधार पर आपकी संस्था को डिप्लोमा इन एज्यूकेशन पाठ्यक्रम संचालित करने हेतु **50** विद्यार्थियों के इंटेक सहित सत्र 2016–17 से मण्डल की संबंद्धता एन.सी.टी.ई. के मान्यता आदेश में उल्लेखित शर्तों के अधीन निम्न शर्तो के अंतर्गत प्रदान की जाती है :–

1. माननीय सर्वोच्च न्यायालय द्वारा रिट पिटिशन (सिविल) 276 / 12 (मॉ वैष्णव देवी महिला महाविद्यालय विरुद्ध उत्तर प्रदेश सरकार) में पारित आदेश दिनांक 13.12.2012 में संबंधित परीक्षा निकाय एवं राज्य सरकार को निम्नानुसार बिन्दुओं के संबंध में कार्यवाही सुनिश्चित करने संबंधी जिम्मेदारी सौंपी गई है तदानुसार मण्डल द्वारा संबद्धता जारी किये जाने के उपरान्त भी यदि किसी भी समय यह पाया जाता है कि संस्था द्वारा :– प्रवेश हेतु विद्यार्थियों की योग्यता एवं तद्संबंधी जारी प्रवेश नियम,परीक्षा संचालन से संबंधित नियम, संबंधित पाठ्यक्रम पूरा किये जाने से संबंधित नियम अथवा, राष्ट्रीय अध्यापक शिक्षा परिषद, म.प्र. शासन, स्कूल शिक्षा विभाग द्वारा समय–समय पर जारी नियमों एवं मा.शि.मण्डल द्वारा समय–समय पर जारी पाठ्यक्रम व संबंद्धता संबंधी नियमों एवं निर्देशों का पालन नहीं किया जा रहा है, तो मण्डल द्वारा प्रदत्त संस्था की संबद्धता समाप्त की जा सकेगी।

2. एन.सी.टी.ई. द्वारा संस्था को प्रदत्त मान्यता समाप्त करने की दशा में मण्डल द्वारा संस्था को प्रदत्त संबद्धता भी उसी के साथ स्वतः समाप्त मानी जावेगी तथा एन.सी.टी.ई. द्वारा मान्यता समाप्ति के उपरान्त संस्थाओं में प्रवेशित विद्यार्थियों को मण्डल की परीक्षा में शामिल नहीं कराया जावेगा।

3. मंण्डल द्वारा संबद्धता प्रदान किये जाने के बाद यदि किसी भी समय मण्डल के संज्ञान में आता है कि संस्था द्वारा संबद्धता प्राप्त करने के प्रयोजन से कोई तथ्य छिपाया गया है अथवा छल पूर्वक संबद्धता प्राप्त की गई है, तो ऐसी स्थिति में मण्डल द्वारा संस्था को प्रदत्त की गई संबद्धता बिना किसी पूर्व सूचना के समाप्त कर दी जावेगी।

4. एन.सी.टी.ई. द्वारा संस्था को जिस पते पर मान्यता जारी की गई है वही पता मान्य किया जायेगा। संस्था के पते में परिवर्तन उसी स्थिति में मान्य किया जायेगा जब संस्था को एन.सी.टी.ई. द्वारा विधि अनुसार पते में परिवर्तन की अनुमति दी गई हो तथा तद संबंधी सूचना मण्डल को एन.सी. टी.ई. द्वारा उपलब्ध कराई गई हो। संस्थाओं द्वारा बगैर एन.सी.टी.ई. की अनुमति के, स्वयं के स्तर से पते में परिवर्तन को मान्य नहीं किया जावेगा।

5. संबंद्धता प्राप्त संस्थाओं का यह भी दायित्व है कि वे म.प्र. शासन, स्कूल शिक्षा विभाग अथवा मा.शि.मण्डल द्वारा नियुक्त निरीक्षणकर्ताओं को पूरा सहयोग प्रदान कर विधिवत् रुप से अपनी संस्थाओं का निरीक्षण करवाये अन्यथा की स्थिति में मण्डल द्वारा संस्था को प्रदत्त संबंद्धता को समाप्त करने की कार्यवाही की जावेगी।

उप सचिव
माध्यमिक शिक्षा मण्डल, म.प्र.
भोपाल

पृ. क्रमांक / 3284 / डी.एड. / 2016 भोपाल दिनांक 30 / 05 / 2016

प्रतिलिपिः–

1. अपर मुख्य सचिव, म.प्र. शासन, स्कूल शिक्षा विभाग की ओर सूचनार्थ।
2. आयुक्त, राज्य शिक्षा केन्द्र, बी विंग, पुस्तक भवन, अरेरा हिल्स, भोपाल की ओर सूचनार्थ।
3. क्षेत्रीय निदेशक, राष्ट्रीय अध्यापक शिक्षा परिषद् मानस भवन, श्यामला हिल्स, भोपाल की ओर सूचनार्थ।
4. जिला शिक्षा अधिकारी, जिला शिक्षा कार्यालय, भोपाल (म.प्र.) की ओर सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु।
5. प्राचार्य जिला शिक्षा एवं प्रशिक्षण संस्थान, भोपाल (म.प्र.) की ओर सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु।
6. संभागीय अधिकारी, संभागीय कार्यालय, मा.शि.मण्डल, भोपाल (म.प्र.) की ओर सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु।

उप सचिव
माध्यमिक शिक्षा मण्डल, म.प्र.
भोपाल